<u>**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर**</u>

<u>**अपील संख्या 85/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)**</u>

दौजी पुत्र सुखलाल जाति माली निवासी नगला बन्ध सैंधली तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

अपीलांट

<u>**बनाम**</u>

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार भुसावर दिनांक 27.2.2017 प्रकरण संख्या 89/2017 (91 एल आर एक्ट)

उपस्थित :

1. श्री सुभाष शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. पेरोकार सरकार

दिनांक – 1.12.2017

निर्णय

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार भुसावर की आज्ञा दिनांक 27.2.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत 2073 में खसरा नम्बर 499 रकबा 161.14 बीघा गैर मुमकिन चारागाह में से 2 बीघा रकबा वाकै ग्राम सैंधली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर अपीलान्ट द्वारा फसल इत्यादि बुबाई कर अतिक्रमण सिद्ध होने पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2.2017 पारित किया गया। जिसके तहत अतिक्रमी/अपीलान्ट को बेदखल करते हुये फसल जब्त किये जाने तथा लगान 2 रूपये की दर से पचास गुना राशि 100 रूपये शास्ति आरोपित किये जाने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी के जुर्म में अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास से भी दण्डित किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि तहत अदालत ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। बिना जिरह बिना साक्ष्य सबूत के केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा चारागाह के खसरा नम्बर 499 की किसी भूमि पर जब कोई अतिक्रमण ही नहीं किया गया तो उसे भौतिक रूप से बेदखल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अपीलान्ट का पूर्व में अतिक्रमण होने एवं उसे बेदखल किये जाने के तथ्य भी साबित नहीं होते है। अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना जाना भी तथ्यों के विपरीत है। पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह माना जा सके कि अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर फसल बो कर अतिक्रमण किया हो। जबकि अपीलान्ट का कहना है कि जिस चारागाह की भूमि पर फसल बुबाई करना बताया है वह अपीलान्ट द्वारा नहीं बोई है उसे जब्त किये जाने व नष्ट किये जाने में अपीलान्ट को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा में पारित किया गया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। यह जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 9.10.2017 को हुई। तदोपरान्त बाद कार्यवाही दिनांक 12.10.2017 को नकल प्राप्त हुई । अतः अपील प्रस्तुतीकरण की देरी को क्षमा किया जावे जिसके लिये पृथक से धारा –5 मियांद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2.2017 निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि अपीलान्ट/अतिक्रमी ने फसल रबी **सम्बत 2073** में उक्त चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लघंन किया है। इसलिऐ अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया गया है। इसी तरह अपीलान्ट ने फसल खरीफ **सम्बत 2072** में भी उपरोक्त चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। जिसकी पुष्टि गत प्रकरण संख्या 18/2016 निर्णय दिनांक 6.4.2016 से हो जाती है। बाद कार्यवाही दिनांक 6.4.2016 को अतिक्रमी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल भी किया गया था जिसकी घटना बही शामिल पत्रावली है। इस वर्ष सम्वत 2073 फसल रबी में पुनः अतिक्रमण कर लिया है। इस तरह यह साबित हो जाता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। जिस भूमि पर अतिक्रमी बार बार अतिक्रमण कर रहा है वह भूमि चारागाह है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है । अतिक्रमित भूमि राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 16 के प्रावधानानुसार वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है । अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। सम्बत 2073 में खसरा नम्बर 499 रकबा 161.14 बीघा गैर मुमकिन चारागाह में से 2 बीघा रकबा वाकै ग्राम सैंधली पर अपीलान्ट द्वारा फसल इत्यादि बुबाई कर अतिक्रमण सिद्ध होने पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2.2017 पारित किया गया। जिसके तहत अतिक्रमी/अपीलान्ट को बेदखल करते हुये फसल जब्त किये जाने तथा लगान 2 रूपये की दर से पचास गुना राशि 100 रूपये शास्ति आरोपित किये जाने तथा सम्बत 2072 में भी उक्त चारागाह पर अतिक्रमण किये जाने एवं दिनांक 6.4.2016 को भौतिक रूप से अपीलान्ट को बेदखल किये जाने के परिणाम स्वरूप पश्चातवर्ती अतिक्रमी के जुर्म में अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास से भी दण्डित किया गया है। उक्त तमाम तथ्यों के विपरीत वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया जिससे पैरोकार सरकार के कथनों एवं अपीलाधीन आदेश के तहत अतिक्रमी एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के तथ्यों को आधारहीन होने की पुष्टि हो सके।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट द्वारा बार–बार उक्त चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जाना भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के उल्लघंन के साथ साथ अपीलान्ट की गलत मंशा को भी दर्शाता है जो न्यायोचित नहीं है। अतिक्रमित भूमि राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 16 के प्रावधानानुसार वर्जित होने से तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की कोई विधिकत्रुटी नहीं पाते है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण निरस्त योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 27.2.2017 में कोई विधिकत्रुटि प्रमाणित नही होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1.12.2017 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

भरतपुर

Web Copy - Not Official